प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुस्से उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र श्री कालीचरन, निवासी जनपद-हाथरस की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-19909/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-02.05.2025), दिनांक-13.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुस्से उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र श्री कालीचरन जो लाडपुर, थाना-हाथरस जंक्शन, जनपद-हाथरस का निवासी है। बंदी ने दिनांक 11.02.2005 फिरौती के उद्देश्य से 06 लाख रूपये की मांग को लेकर अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चन्द्रवीर सिंह उर्फ राजा उम्र 08 वर्ष का अपहरण कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-57/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302, 364ए,201,102बी के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश(डकैती प्रभावित क्षेत्र)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, एटा के आदेश दिनांक 30.03.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 10 माह, 15 दिन तथा 17 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की उम्र लगभग 43 वर्ष है एवं स्वस्थ है शारीरिक रूप से बन्दी अपराध करने के लिये सशक्त होने, बन्दी के कृत्य को देखते हुए जेल में आगे निरूद्ध रखना उचित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा फिरौती के उद्देश्य से 06 लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 11.02.2005 को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चन्द्रवीर सिंह उर्फ राजा उम्र 08 वर्ष का अपहरण कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुस्से उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र श्री कालीचरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुस्से उर्फ पुष्पेन्द्र (बन्दी संख्या-16529) पुत्र श्री कालीचरन, निवासी जनपद-हाथरस के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1256/2025/1093(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1256/2025/1093/22-2-2025-17(902)/2025

दिनांक:28 अक्टूबर, 2025 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुस्से उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र श्री कालीचरन जो लाडपुर, थाना-हाथरस जंक्शन, जनपद-हाथरस का निवासी है। बंदी ने दिनांक 11.02.2005 फिरौती के उद्देश्य से 06 लाख रूपये की मांग को लेकर अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चन्द्रवीर सिंह उर्फ राजा उम्र 08 वर्ष का अपहरण कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-57/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302, 364ए,201,102बी के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश(डकैती प्रभावित क्षेत्र)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, एटा के आदेश दिनांक 30.03.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 10 माह, 15 दिन तथा 17 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी की उम्र लगभग 43 वर्ष है एवं स्वस्थ है शारीरिक रूप से बन्दी अपराध करने के लिये सशक्त होने,बन्दी के कृत्य को देखते हुए जेल में आगे निरूद्ध रखना उचित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा फिरौती के उद्देश्य से 06 लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 11.02.2005 को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चन्द्रवीर सिंह उर्फ राजा उम्र 08 वर्ष का अपहरण कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुस्से उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र श्री कालीचरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।